



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग**

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक :- **1349/1052-ए**

दिनांक :- **11/06/2017**

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- सिमली-शैलेश्वर मोटर मार्ग में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- EDS दिनांक 18.04.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार एवं आपके द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	It is seen from FRA documents uploaded at Para-K of online Part-I that the District Level Committee meeting was held on 19.06.2015 but the date has not been mentioned in the FRA certificate issued by the DC. Further, it is also seen that the Sub Division Level Committee meeting was held on 12.03.2015 but the date is mentioned as 28.02.2015 and 22.06.2016 in the proceedings of Village Level Committee meeting of Naini & Kanot villages. These dates are not in a logical sequence. As per Logical Sequence Village Level Committee meetings are to be followed by the Sub Division Level Committee meeting & Sub Division Level Committee Meeting is to be followed by the District Level Committee Meeting and the FRA certificate is to be issued by the DC after District Level Committee meeting. Further, it is also seen that the proceedings of village Level Committee meeting of Malla Gwad village Shown in the village wise breakup in Para- B-2.3 has not been submitted.	District Level Committee के FRA में Date अंकित करते हुए तथा FRA Certificate संशोधित करते हुए Date wise Sequence में लगाकर पार्ट-I के Para-K (a) में अपलोड कर दिया गया है। मल्याग्वड ग्राम पंचायत कनोट के अन्तर्गत आता है। अतः ग्राम कनोट एवं मल्याग्वड का Village Level Committee Certificate संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया गया है। (संलग्नक-1 पेज 2 से 9)

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।
संलग्न :- संशोधित FRA Certificate

(जे.पी.रतूड़ी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

Annexure-I

FORM-I
(for Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : 19 / 06 / 2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that 1.440 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand for New Construction of Simli-Sheleshwar Motor Road in Karanpravag Constituency of District Chamoli** falls within jurisdiction of Kanot, Malla Gwad and Naini Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.440 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above


Ashok Kumar (IAS)
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

Annexure-I

**Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Ashok Kumar (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 19.06.2015. At 11 P.M. at Chamoli in which the application claiming rights in village Kanot, Malla Gwad and Naini of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.440 Hectares for the **New Construction of Simli-Sheleshwar Motor Road in Karanprayag Constituency of District Chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.


Ashok Kumar (IAS)
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:-

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड कौण्डा परिक्षेत्र के अन्तर्गत सिक्की डॉक्टर मोहर मणि किभाणी

(1.440 हे. आरक्षित वन भूमि 0.600 हे. सिविल एवं सायम वन भूमि 0.040 हे. वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.440 हे. वन भूमि) का ओपेन प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कौण्डा) की दिनांक 12/3/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री उपजिलाधिकारी कौण्डा2- श्री शिवानन्द पुन उप प्रमाणीय वनाधिकारी गोखर3- श्री मोहन सिंह फरसारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी Share सदस्य/साचिव4- श्री वी डी सी क्षेत्र बदर

- ① श्री मालदास पुनोहित वन अधिकार समिति सदस्य manu Dahi
 ② श्रीमती सुशीला रावत वन अधिकार समिति सदस्य Shukla
 ③ श्री मदिपाल सिंह गैंगी वन अधिकार समिति सदस्य Shree

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सिक्की डॉक्टर मोहर मणि किभाणी

मोहर मणि किभाणी

परियोजना हेतु 1.440 हे. वन भूमि

नोटिफिकेशन

प्रयोक्ता एजेंसी को पक्ष में हस्तावर्तित किये जाये हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत बनाधिकार का कोई मामला लागू नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।

संबंधित उप प्रभागीय बनाधिकारी श्रीधर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड क. 61. 4209 परिक्षेत्र के अन्तर्गत सिमली-बोलेवा भोय मण्डि परियोजना के निर्माण हेतु 1.440 हे. वन भूमि नोटिफिकेशन प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील करीमपुर
जनपद कोशी

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी कोशी को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मधुप

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी
करीमपुर
जनपद कोशी

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :-

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....त्रेडी.....तहसील.....कौप्रम..... जिला.....बमोली (गढ़वाल)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद.....बमोली..... अन्तर्गत.....सिमली रोलेस्व.....भोर भाग का
वन विभाग..... परियोजना के निर्माण हेतु ~~हस्ताक्षर~~ हे०
 आरक्षित वनभूमि.....०.६६०..... हे० सिविल सोयमभूमि.....०.४५०..... हे० वनपंचायत भूमि
 अर्थात् कुल.....१.११०..... हे० वनभूमि का.....जोडी रोलेस्व..... विभाग/संस्था के पक्ष में
 भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
 प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....त्रेडी..... द्वारा दिनांक.....२८-२-२०१५.....
 को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित
 वनभूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई।
 यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में
 आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा
 नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में
 किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा
 रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर
 ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव
 पारित किया गया कि ग्राम.....त्रेडी..... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि.....सिमली रोलेस्व
भोर भाग का..... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई
 आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर
 ह०/-

ग्रामसचिव

सुबोध कलश

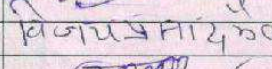
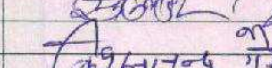
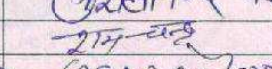
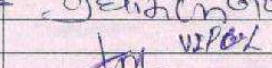
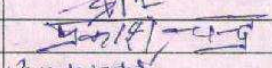
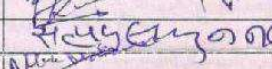
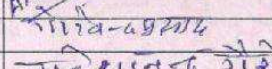
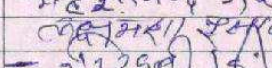
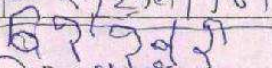
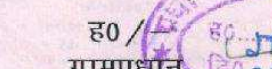
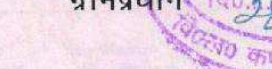
नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही
 है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर
 प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 28-2-2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत नेही

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	दीपा प्रसाद गैरोला	
2-	विजय कुमार डेलपुर	
3-	विजय प्रसाद	
4-	सुनील (कुमार) डेलपुर	
5-	अरुण मेहरो	
6-	कृष्णानन्द गैरोला	
7-	शम-चन्द नैनाल	
8-	अध्यावर मेहरो	
9-	विपुल कुमार डेलपुर	
10-	शरणागन्त डेलपुर	
11-	प्रसाद चन्द डेलपुर	
12-	सत्य प्रसाद डेलपुर	
13-	अनिल कुमार डेलपुर	
14-	परशु राम डेलपुर	
15-	अशोक नैनाल	
16-	सत्य प्रसाद नैनाल	
17-	गोविन्द नैनाल	
18-	महेश चन्द गैरोला	
19-	लक्ष्मण गैरोला	
20-	रिखली देवी	
21-	विश्व चन्द देवी	
22-	शिवर डेलपुर	
23-	अशोक प्रसाद	

ह0 /
ग्रामप्रधान

प्रपत्र- 23.1

परियोजना का नाम:-

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रग्राम पंचायत का नाम:- कनौठ (मेन्दा, 5015)तहसील - कनौठ जिला - चमोलीअनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के आन्तरिक सिमली इन्वेस्टर मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु X हे०, आरक्षित वनभूमि, 0.60 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.840 हे० वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.440 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कनौठ द्वारा दिनांक 28/03/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कनौठ के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि सिमली-इन्वेस्टर मोटर मार्ग हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव.....



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रस्तावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक...28/02/15...को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत...कमोठ (मिल्थी गवाड़)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गुड्डा देवी	गुड्डा देवी
2	भगत लाल	भगत लाल
3	गणपति लाल	गणपति लाल
4	सुरदेव	सुरदेव
5	विलीया देवी	विलीया देवी
6	सुसुमा देवी	सुसुमा देवी
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

